केन्द्रीय विद्यालय संगठन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली
Institutional Area Shaheed Jeet Singh Marg,
NEW DELHI-110016
दूरभाष/Tele: 26858570फ़ैक्स/Fax: 011-26514179
वेब/Website: www.kvsangathan.nic.in

F. 11029/17-18/KVS (HQ) /E-II / PRT to HM

Dated: 29.5.2018

ज्ञापन

विषय: वर्ष 2016 -17 के लिए प्राथमिक शिक्षक से मुख्य-अध्यापक के पद पर पदोन्नति (Main Panel - Left out cases - Unreserved Category)

सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक शिक्षकों (Main Panel - Left out cases - Unreserved Category) को मुख्य अध्यापक के पद पर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप लेवल 7 मे पदोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई है | शिक्षक को उनके नाम के आगे दर्शाए गए कालम 6 मे उल्लेखित केंद्रीय विद्यालयों मे पदस्थ किया गया है | उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 8.6.2018 तक पदोन्नति के लिए अपनी बिनाशर्त स्वीकृति (unconditional acceptance) को इस कार्यालय को प्रेषित करें | साथ ही वह अपने वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त होकर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (joining time) का उपभोग कर मुख्यअध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करें | यदि वह दिनांक 8.6.2018 तक वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त होने मे विफल रहते हैं, तो पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वत: ही वापस ले लिया माना जाएगा और के. वि. सं. (मुख्यालय) के पत्र संख्या F. 6-6/1999/के.वि.सं. (मुख्यालय)/आर.पी.एस. दिनांक 04.09.2008 के अनुसार दिनांक 8.6.2018 से उन्हे 1 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा |

वर्ष 2016 -17 का (MAIN PANEL - LEFT OUT CASES - UNRESERVED CATEGORY)

Sl No	Sen. No	Name of Teacher	D.O.B	KV / KVS where working presently	Place of posting on Promotion as H. M.
1	201	SMT. RAMITA MAHINDRU	21.08.1958	AFS GURGAON NO.1 (1 st Shift	KV - Palwal
2	227	SMT. ASHA DHAWAN	28.08.1959	SC PUNE	KV – 9 BRD Pune
3	481	SMT. RITA SHARMA	25.10.1958	DELHI CANTT NO.1, (1st Shift)	KV – No.3, Delhi Cantt (2nd Shift)
4	601	SMT. RAJALAXMI DORA	09.05.1959	BERHAM PUR	KV – no.1, Bhubaneswar (1st Shift)
5	602	MS. T. SHASIKALA	13.06.1961	BOLARUM, SECUNDERABAD	KV - Eddumailaram
6	608	SMT. ASHA MISHRA	02.09.1958	OLD CANTT. ALLAHABAD	KV – No.II Gorakhpur (FCI)
7	610	SMT. MADHU LAXMI ARORA	28.09.1959	BHEL, HARDWAR	KV - Raiwala
8	622	SMT. RASHMI F. JAMES	23.10.1958	BHOPAL NO.1	KV – No.3, Bhopal (2nd Shift)

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटे के अधीन पदोन्नति, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हाल के प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के अधीन है अर्थात अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबन्धित होने के उनके समर्थन मे जैसा भी मामला हो |
2. कर्मचारी को विकल्प दिया जायगा कि वह पदोन्नति की तिथि या निचली पोस्ट मे वेतन वृद्धि की तिथि से, यानि, 1 जुलाई को अपना वेतन निर्धारण करवा सकते हैं | परंतु यह विकल्प एक महीने के भीतर दिया जाना चाहिए |

3. कर्मचारी की बीमारी / प्रसूति के कारणो को छोड़कर कोई भी विस्तार नहीं किया जाएगा | जिसके लिए सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन / जिला अस्पताल या पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग / परियोजनाओं के अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर से जो स्कूल संलग्न हैं / एक सैन्य या कमान अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है | यदि कोई ऐसा अनुरोध हो तो विस्तार के लिए के.वि.सं. (मुख्यालय) को दिनांक 8.6.2018 तक उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए |

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति पर पदस्थापन की जगह या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मे विस्तार के लिए अनुरोध पर (उपरोक्त पैरा 3 के तहत आने वाले मामले के अलावा) किसी भी परिस्थिति मे विचार नहीं किया जाएगा |

(सरदार सिंह चौहान) 29/5/18
सहायक आयुक्त (स्थापना - 2/3)

वितरण

1. संबन्धित शिक्षक को इस निर्देश के साथ कि उन्हे पदोन्नति स्वीकार करने की दशा मे दिनांक 8.6.2018 तक अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति इस कार्यालय को प्रेषित करें | यदि उन्हे पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार हो तो दिनांक 25.6.2018 तक या उससे पहले कार्यमुक्त हो | यदि वह इस तिथि तक कार्यमुक्त नहीं हो पाता तो उन्हे दिनांक 25.6.2018 को कार्यमुक्त माना जाएगा |
2. संबन्धित उपायुक्त, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु | यदि संबन्धित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो वे दिनांक 8.6.2018 तक अपनी सहमति संबन्धित उपायुक्त के माध्यम से के.वि.सं. (मुख्यालय) को भिजवाना सुनिशित करें | यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति बिना किसी शर्त के असहमत रहते हैं तो यह मान लिया जाएगा की वे अपनी पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहते और इस संबंध मे उन्हे बिना किसी पत्राचार के इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा और यदि उन्होने पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो उन्हे दिनांक 25.6.2018 तक हर हालत मे कार्यमुक्त कर दिया जाय ताकि वे नियुक्ति के नए स्थान पर निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण कर सकें |
3. उपायुक्त के.वि.सं., संबन्धित क्षेत्रीय कार्यलय को इस अनुरोध के साथ कि वे पदोन्नति पर पदस्थ अध्यापक की कार्यभार ग्रहण की तिथि इस कार्यालय को सूचित करें |
4. वित्त अधिकारी, के.वि.सं., संबन्धित क्षेत्रीय कार्यलय |
5. अनुभाग अधिकारी, (भर्ती एवं पदोन्नति अनुभाग), के.वि.सं. (मुख्यालय) नई दिल्ली |
6. ई डी पी प्रकोष्ठ, के.वि.सं. (मुख्यालय) नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें |
7. गार्ड फ़ाइल |